फर्द अहकाम
(नियम)

1718
318
109

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर	[illegible]

किस्म मुकदमा प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957

प्रार्थना–पत्र नम्बर 256/2021 GCMS No. 2021/ 320

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.07.2021	राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली दिनॉक 30/07/2021 को वास्ते सुनवाई/उचित आदेशार्थ पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
30/7/2021	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपख0 अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 17.8.2021 को पेश हो	
17/8/2021	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपख0 अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 3/9/2021 को पेश हो	
3/9/2021	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपख0 अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 10/9/2021 को पेश हो	
10/9/2021	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का [illegible] किया गया। जमाबंदी अनुसार [illegible] नहीं होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। अतः प्रार्थना पत्र [illegible] के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 16:51:34 IST
Reason: SelfAttested